न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉआर.ए.एस.)

वाद संख्याः–216 / 2022 दर्ज तिथिः–18.11.2022

1. विक्रम पुत्र मोतीलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. विकास पुत्र मोतीलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी फाचर अहिरान तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

................वादीगण

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र वरदीचन्द जाति अहीर आयु वयस्क निवासी फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. इन्द्रा पुत्री मोतीलाल पत्नि मनोहर जाति अहीर आयु वयस्क निवासी फाचर अहिरान हा. मु. ऊँखलिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

................प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ताः–श्री विशाल कुमावत
प्रतिवादीगण अधिवक्ता–श्री महावीर चपलोत

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान राज.काश्तकारी अधिनियम–1955

–: घोषणा :–

निर्णय तिथिः–24.04.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2077–2[illegible] खाता संख्या–219 वाके ग्राम फाचर अहिरान, पटवार हल्का, फाचर अहिरान त[illegible]हेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान वाद पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न [illegible] है:–मौजा फाचर अहिरान पटवार हल्का फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेड़ा की [illegible] संख्या 219 की आराजी नम्बर 163 रकबा 0.1600 हैक्टेयर लगानी 4 रुपये [illegible] आराजी नम्बर 772 रकबा [illegible]100 हेक्टेयर ट्युबबैल, आराजी नम्बर 773 रकबा 1.[illegible]00 हैक्टेयर लगानी 22 रुपये [illegible] पैसा, कुल किता 3 कुल रकबा 1.3600 हेक्टेयर कुल लगानी 26 रुपये 69 पैसा स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी न० 1 व 2 की पुश्तैनी पैतृक आराजियात हैं। वादग्रस्त आराजियात वादीगण के दादा वरदीचन्द जी के नाम दर्ज थी वरदीचन्द जी के देहान्त के बाद विरासत से प्रतिवादी नं0 1 पुत्र मोतीलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं, वादीगण के पिता मोतीलालजी के दो पुत्र विक्रम एवं विकास वादीगण हुवे, तथा एक पुत्री इन्द्रा प्रतिवादी नं0 2 हुई। प्रतिवादी नं० 2 द्वारा अपने विवाह के समय उपरोक्त वर्णित आराजियात में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी नं० 1 के पक्ष में मौखिक हक त्याग कर दिया तथा वादग्रस्त आराजियात में कोई हक हिस्सा नही रखा। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित हैं, तथा उक्त आराजियात मे वादीगण का जन्म से अधिकार निहित हैं, इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का उसके पिता मोतीलाल के हिस्से में से वादी नं० 1 का 1/3 हक हिस्सा, वादी नं0 2 का 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं01 का 1/3 हक हिस्सा हैं, हक हिस्से अनुसार मौके पर संयुक्त रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, अतः वादीगण एवं प्रतिवादी न. 1 के हक हिस्से की भूमि अनुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब मे सहमति से अपना जवाब प्रस्तुत किया जवाब में उन्होने सहमति प्रदान की। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 मय अधिवक्ता उपस्थित जिन्होंने राजीनामा प्रस्तुत करते हुए राजीनामें में वर्णित सभी तथ्यों को सही होना स्वीकार किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री विशाल कुमावत ने की प्रतिवादीगण नं. 1 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री महावीर ने की। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादी की ओर से गवाह विक्रम अहीर, विकास अहीर द्वारा गवाह पेश की गई एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिसमें प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2053–2056 प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगणों एवं प्रतिवादीगणो ने आपसी राजीनामा पेश किया जिसमें वादी नम्बर 1 विक्रम पिता मोतीलाल 1/4, वादी नम्बर 02 विकास पिता मोतीलाल 1/4 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 मोतीलाल पिता वरदीचन्द 1/4, प्रतिवादी नम्बर 2 इन्द्रा पुत्री मोतीलाल 1/4 हक हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार रखाया जा कर, इसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात का हक हिस्से अनुसार नपती करवाई जाकर, बटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज किया जावे लगान की फाटनी की जावे। वादीगण का वाद राजीनामे अनुसार घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में मौजा फाचर अहिरान पटवार हल्का फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेडा की जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 की [illegible] आराजी नम्बर 163 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 772 रकबा 0.010[illegible] हैक्टेयर, आराजी नम्बर 773 रकबा 1.1900 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.3600 है[illegible] है जो मोतीलाल पिता वरदीचन्द जाति अहीर के [illegible] दर्ज [illegible] है जिसे अब वादीगण विक्रम पिता मोतीलाल 1/4, [illegible] मोतीलाल 1/4 एवं प्रतिवादीगण मोतीलाल पिता वरदीचन्द 1/4, इन्द्रा पुत्री मोतीलाल 1/4 के नाम घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

विक्रम बनाम मोतीलाल
216/2022
निर्णय दिनांक : 24.04.2023

घोषणा है कि

1. *वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं मौजा फाचर अहिरान पटवार हल्का फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेडा की जमाबंदी सम्वत् 2077—2080 की खाता संख्या 219 की आराजी नम्बर 163 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 772 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 773 रकबा 1.1900 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1,3600 हेक्टेयर है वादीगण विक्रम पिता मोतीलाल 1/4, विकास पिता मोतीलाल 1/4 एवं प्रतिवादीगण मोतीलाल पिता वरदीचन्द 1/4, इन्द्रा पुत्री मोतीलाल 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है । तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।*

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 24.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

24/4/2023

(रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner